

(आदेश 20 नियम 6,7 जा,दी.)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी
श्री बिन्दुबाला राजावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी

- श्री कालु पिता देवा मीणा निवासी देवदा मृतक के बजाय
1/1 श्रीमति चम्पाबाई पत्नि स्व. कालु मीणा आयु 60 वर्ष निवासीयान देवदा,
तहसील बड़ीसादड़ी।
1/2 श्रीमति मांगीबाई पूत्री स्व. कालु मीणा पत्नि नन्दलाल मीणा आयु 45 वर्ष
निवासीयान नाना मगरी पीराना तहसील डूंगला।
1/3 श्रीमति लीलाबाई पुत्री स्व. कालु मीणा पत्नि गोपालसिंह मीणा आयु 25
वर्ष निवासीयान कालीमंगरीया तहसील बड़ीसादड़ी।

– वादीगण

बनाम

- 1.श्री सुधीर पुत्र अमरचन्द सुराणा, आयु वयस्क, निवासी जोधपुर हाल मुकाम अमर प्रकाश देव प्रा0लिमि.
42 राजेन्द्र प्रसाद रोड, नेहरू नगर, क्रोमपेट, चेन्नई पिन कोड नं. 600044
2.श्री भूमिधारी तहसीलदार, बड़ीसादड़ी, जिला – चित्तौड़गढ़ (राज.)

– प्रतिवादीगण

प्रकरण सं.19/2021 वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.वादी की ओर से वकील श्री
प्रेमसिंह मेहता की उपस्थिति में और प्रतिवादी एक पक्षीय कार्यवाही में यह वाद आज दिनांक को
अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि देवदा राजस्व ग्राम की नई आराजी
सं. 139, 140, 143 कुल किता तीन कुल रकबा 9.44 हैक्टेयर में वादीगण को 5 बिघा 10 बिस्वा भूमि
का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें।

इस वाद के खर्चे.....* प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित.....* को दी जावे। यह आज
दिनांक51.1.24..... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

(बिन्दुबाला राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी

क्रमांक/राजस्व/2023/ दिनांक:-
मूल ही डिग्री की प्रति तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेजकर लेख है कि डिग्री अनुसार पालना की जाकर
पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी

